



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3075]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 7, 1938

No. 3075]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4195(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2821 (अ), तारीख 5 नवंबर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, बेल्लारी, वडोदरा, वास्को (गोवा) तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, मदुरै और विलासपुर	संपूर्ण भारत
3.	सभी सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
4.	सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4195(E).**—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2821(E) dated the 5th November, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below, being the Gazetted Officers, to be registering officers for the purpose of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred on them by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Deputy Welfare Commissioners(Central).	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Bellary, Vadodara, Vasco (Goa), Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Visakhapatnam, Madurai and Bilaspur.	Whole of India.
3.	All Assistant Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central).	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4196 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2823(अ), तारीख 5 नवंबर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

## सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, बेल्लारी, वडोदरा, वास्को (गोवा) तिरुनंतपुरम, डिव्रूगड, विशाखापत्तनम, मदुरै और बिलासपुर।	संपूर्ण भारत
3.	सभी सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
4.	सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4196 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2823(E), dated the 5th November, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below, being the Gazetted Officers, to be licensing officers for the purpose of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred on them by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Table.

**TABLE**

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Deputy Welfare Commissioners(Central).	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Bellary, Vadodara, Vasco (Goa), Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Visakhapatnam, Madurai and Bilaspur.	Whole of India.
3.	All Assistant Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central).	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4197(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2822(अ), तारीख 5 नवंबर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपील अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपील अधिकारी नामनिर्दिष्ट करती है।

**सारणी**

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
2.	सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
3.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, बेल्लारी वडोदरा, वास्को (गोवा), तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, मदुरै और विलासपुर के सिवाय सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4197(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2822 (E), dated the 5<sup>th</sup> November, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby nominates the officers specified in column (2) of the Table below, to be the appellate officers to exercise the powers conferred on appellate officers by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
2.	All Deputy Chief Labour Commissioners (Central).	Whole of India.
3.	All Regional Labour Commissioners (Central) except Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Bellary, Vadodara, Vasco (Goa), Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Visakhapatnam, Madurai and Bilaspur.	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4198 (अ)**—केन्द्रीय सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1460(अ), तारीख 3 जून, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

## सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, वडोदरा, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, मदुरै, तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, वास्को (गोवा), बिलासपुर और बेल्लारी।	संपूर्ण भारत
3.	सभी सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
4.	सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4198 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1460 (E), dated the 3<sup>rd</sup> June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below, being the Gazette Officers to be the registering officers who shall exercise the powers conferred on the registering officers by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction as specified in column (3) of the said Table.

**TABLE**

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Deputy Welfare Commissioners(Central).	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Vadodara, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Madurai, Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Vishakhapatnam, Vasco (Goa), Bilaspur and Bellary.	Whole of India.
3.	All Assistant Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central).	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4199 (अ)**—केन्द्रीय सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1461(अ), तारीख 3 जून, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, अपील अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपील अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

**सारणी**

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)	संपूर्ण भारत
2.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के कार्यालय में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली के सिवाय सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
3.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, वडोदरा, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, मदुरै, तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, वास्को (गोवा), बिलासपुर और बेल्लारी के सिवाय सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4199(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1461 (E), dated the 3<sup>rd</sup> June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby nominates the officers mentioned in column (2) of the Table below, to be the appellate officers, who shall exercise the powers conferred on appellate officers by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
2.	All Deputy Chief Labour Commissioners (Central) except Deputy Chief Labour Commissioners (Central) New Delhi in the office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	Whole of India.
3.	All Regional Labour Commissioners (Central) except Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Vadodara, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Madurai, Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Vishakhapatnam, Vasco (Goa), Bilaspur and Bellary.	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4200 (अ)**—केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1614(अ), तारीख 16 नवंबर, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

## सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, बेल्लारी, वडोदरा, वास्को (गोवा), तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, मदुरै और बिलासपुर।	संपूर्ण भारत
3.	सभी सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
4.	सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4200 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1614(E), dated the 16<sup>th</sup> November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below, being the Gazetted Officers to be registering officers for the purpose of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred on them by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Table.

**TABLE**

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Deputy Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Bellary, Vadodara, Vasco (Goa), Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Visakhapatnam, Madurai and Bilaspur.	Whole of India.
3.	All Assistant Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central).	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4201 (अ)**—केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1615(अ), तारीख 16 नवंबर, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

**सारणी**

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, बेल्लारी, वडोदरा, वास्को (गोवा) तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, मदुरै और विलासपुर।	संपूर्ण भारत
3.	सभी सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
4.	सभी सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4201 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1615(E), dated the 16<sup>th</sup> November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below, being the Gazetted Officers, to be licensing officers for the purpose of the said Act and the said officers shall exercise the powers conferred on them by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	All Deputy Welfare Commissioners(Central).	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Bellary, Vadodara, Vasco (Goa), Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Visakhapatnam, Madurai and Bilaspur.	Whole of India.
3.	All Assistant Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central).	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4202(अ).**—केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1613(अ), तारीख 16 नवंबर, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपील अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपील अधिकारी नामनिर्दिष्ट करती है।

## सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सभी कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
2.	सभी उप मुख्य श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत
3.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जयपुर, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, बेल्लारी, वडोदरा, वास्को (गोवा), तिरुनंतपुरम, डिब्रूगढ़, विशाखापत्तनम, मदुरै और विलासपुर के सिवाय सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।	संपूर्ण भारत

[फा.सं. एस-16011/09/2016-एलडब्ल्यू(ए)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव



**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2016

**S.O. 4202 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1613(E), dated the 16<sup>th</sup> November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby nominates the officers specified in column (2) of the Table below, to be the appellate officers to exercise the powers conferred on appellate officers by or under the said Act, within the limits of the jurisdiction specified in column (3) of the said Table.

**TABLE**

Sl. No.	Officers.	Jurisdiction.
(1)	(2)	(3)
1.	All Welfare Commissioners (Central).	Whole of India.
2.	All Deputy Chief Labour Commissioners (Central).	Whole of India.
3.	All Regional Labour Commissioners (Central) except Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Bellary, Vadodara, Vasco (Goa), Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Visakhapatnam, Madurai and Bilaspur.	Whole of India.

[F. No. S-16011/09/2016-LW(A)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy.